मिरेकल फाउंडेशन इंडिया, यूनिसेफ और समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की सांझेदारी से

जुलाई से सितंबर 2022, बिहार राज्य

यह कार्यक्रम यूनिसेफ बिहार समाज कल्याण विभाग बिहार एवँ मिरेकल फाउंडेशन इंडिया की एक संयुक्त पहल है। इसके तहत बाल सरंक्षण पदाधिकारियों जो कि जिला बाल संरक्षण इकाई बाल कल्याण समिति किशोर न्याय परिषद एवं निरीक्षण समिति को परिवार आधारित एवं बच्चों की वैकल्पिक देखभाल पर क्षमता वर्द्धन करने और उनके माध्यम से राज्य में परिवार आधारित एव वैकल्पिक देखभाल को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्य कर रही है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार में परिवार आधारित और वैकल्पिक देखभाल को बदलना एवं इस तरह की ब्यवस्था कायम करना है, जहाँ हर बच्चे को एक प्यारा परिवार मिल सके। बाल सरंक्षण के क्षेत्र में मिरेकल फाउंडेशन इंडिया को **20** वर्षों का अनुभव रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण परिवार आधारित और वैकल्पिक देखभाल को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श साझेदारी बनाना है।

बाल अधिनियम **2015** के किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण के मानदंडों के अनुसार बिहार में बच्चों की देखभाल कार्यक्रम की उद्देश्य बच्चों की क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी अधिकारियों के क्षमता की निर्माण करना एवं राज्य और जिला स्तर पर देखभाल और उनको सुरक्षा प्रदान करना है। मिरेकल फाउंडेशन इंडिया ने बाल संरक्षण के विभिन्न उपकरणों को विकसित किया है।

मिरेकल फाउंडेशन इंडिया की टीम अभी लगातार बिहार के अनेको जिला का दौरा किया है, इसका उदेश्य मास्टर ट्रेनर को सहयोग करने हेतु ताकि मास्टर ट्रेनर अपने जिला बाल संरक्षण इकाई को मेंटोलरग सहयोग प्रदान कर सके एव सभी स्टेकहोल्डर्स सेम पेज पे रहें और परिवार आधारित देखभाल के लिए मिल कर कुछ निर्णय लिया जाए इसके लिए **Convergence meeting** इनिसिएट किया गया है। जिसमे जिले के सभी मुख्य अधिकारी भाग ले रहे हैं। साथ ही जिला स्तर पे रिफ्रेसर प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है जिसमे जिला में कार्य कर रहे चाईल्ड प्रोटेक्शन के सभी सदस्यों भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि कार्यक्रम में बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली **2017** के विभिन्न पहलूओं पर विस्तार से चर्चा की जाये तथा गृहों में बच्चों की बेहतर देख–भाल के लिए कर्मियों की संवेदीकरण करने के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के प्रारूपों तथा केस प्रबंधन, सामाजिक अंवेषण रिपोर्ट तथा व्यक्तिगत देख–रेख योजना पर विस्तार से परिचर्चा की गई ताकि गृहों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मानकों के साथ सुविधाएँ प्रदान की जा सके।

> **"लक्ष्य पर जिसने साहस के निशान साधे हैं, वह आज नहीं तो कल पाने के इरादे रखतें हैं, आओ हम सब मिलकर मेहनत करने का संकल्प करें, इन बच्चों की दुनिया को भी परिवार से सम्पूर्ण करें।**
>
> **– मास्टर ट्रेनर**

स्नेहपूर्ण परिवार बच्चे की पहली प्राथमिकता – श्रीनिवास सामाजिक कार्यकर्ता, जिला बाल संरक्षण इकाई शेखपुरा।

बालकों के संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों, सामाजिक सरोकार, शिक्षा, पत्रकारिता एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी विशिष्ट पहचान बना रखे शेखपुरा के जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता श्रीनिवास पिछले **9** वर्षों से बाल संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है। श्रीनिवास पटना यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ–साथ मास कम्युनिकेशन में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की है। जिला बाल संरक्षण इकाई में सामाजिक कार्यकर्ता के पद धारण करने के पूर्व इन्होंने एक दशक तक टी वी पत्रकारिता और **4.5** वर्षों तक किशोर न्याय परिषद के सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवा दी है तथा अपनी अलग पहचान बनाई है। बाल संरक्षण के क्षेत्र में आने के बाद इन्होंने एक दर्जन से ज्यादा नवजात परित्यक्त बेबी को समय रहते अपने संरक्षण में लेकर उसकी जान बचाने के साथ–साथ ट्रैफिकिंग होने से बचाया है।

इन्होंने अपने अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि देख–रेख बाले बालकों को बाल गृह में रखने के बजाय यदि फ़ॉस्टर केयर, नातेदार या किसी फिट परिवार में रखा जाय तो बच्चों का विकास ज्यादा हो। इन्होंने मिरेकल फाउंडेशन इंडिया द्वारा दिये गए प्रशिक्षण की प्रशंसा करते हुए कहा कि मिरेकल फाउंडेशन इंडिया ने एस. आई. आर, आई सी पी तैयार करने की एक अलग की नजरिया विकसित किया जिससे बच्चों के बेहतर भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। मिरेकल फाउंडेशन इंडिया के प्रशिक्षण के बाद इन्होंने शेखपुरा प्लेस ऑफ सेफ्टी जिसमें **16** वर्ष से **21** वर्ष के विधि–विवादित बालक रहते हैं वहां बाल कमिटी का गठन कराया जो भली भांति कार्य कर रहा है। इन्होंने जिले के सभी **54** पंचायतों में सी पी सी का गठन कराया तथा प्रत्येक **3** माह पर नियमित बैठक भी करवा रहे है। प्रशिक्षण के राज्य बाल संरक्षण समिति ने इन्हें मास्टर ट्रेनर बनाया है जिसका फायदा जिले को हो रहा है। इन्होंने पिछले **3** वर्षों में जिले के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति, जे जे बी सदस्यों को दो बार जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया है तथा परिवार आधारित देखभाल के लिए जिले के चाइल्ड प्रोटेक्शन फ़ंक्शनरीज को प्रेरित किया है। इनकी लगनशीलत और मेहनत का ही परिणाम है कि जिले में इन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट के रूप में लोग बड़े सम्मान से जानते है तथा नाम लेते हैं। जिला प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन तथा सिविल सोसाइटी के लोग भी बच्चों से सम्बंधित मामलों के लिए इन्हें बड़े उम्मीद से याद करते हैं।

संगीता कुमारी – सामाजिक कार्यकर्ता जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा बिहार।

संगीता कुमारी ने बताया की, मैं सामाजिक कार्य के क्षेत्र **12** बारह बर्षो कार्य कर रही हूं। लगभग दस बर्षो समाज कल्याण अंतर्गत बाल संरक्षण से जुड़ी हुई हूँ। वर्तमान मे जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा में सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हूँ। विभागीय निदेशानुसार मुझे **CNCP** बच्चों का **SIR** एवं **ICP** फश्वलो अप बच्चों के सर्वोत्तन हित को ध्यान में रखते हुए इन कार्यो को पूरी करती हूँ।

लगभग **03** वर्षो से मिरेकल फाउंडेसन इंडिया से मास्टर ट्रेनर के रूप जुड़ी हुई हूँ, हमने कई प्रशिक्षण मिरेकल के द्वारा प्राप्त किया है, जो की हमारे जिला के लिए लाभान्वित साबित हो रहा है। साथ ही इन्होने बताया की दूसरे राज्यों में बालिका गृह का भृमण से जो अनुभव प्राप्त किये उससे काम करने का नजरिया एव तरीका में निसन्देह बदलाब आया है। अपने जिला में सी पि सि की बैठक में बच्चों के लिए संचालित परवरिस एवं स्पॉन्सरशिप योजनाओं की जानकारी देने एवं नावालिग बालिकाओ के बीच साइबर क्राइम से वचाव, स्वास्थ, माहवारी में साफ सफाई, बालविवाह, बाल शोषण बाल अधिकारों शिक्षा के विषयो की जानकारी देने का सकारात्मक परिणाम जिला में देखने को मिल रहा है। समुदाय में आने जाने के क्रम में **CNCP** बच्चों को चिन्हित कर सम्बंधित समस्याओ को दूर करने का प्यास भी करती हूं। इन्होने बताया की नवादा जिला में सी पि सि की बैठक में बाल विवाह की जानकारी देने के दो दिन वाद खुद एक लडक़ी अपनी शादी रुकबाने का खबर दी जो कि प्रशासन के सहयोग से गोपनियता रखते हुये शादी दो बर्ष के लिये स्थगित किया गया।

इन्होने बताया की मिरेकल फाउंडेसन का **SIR** टूल्स पास में रखते हुए जब`प् करते है तो अच्छे से गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट तैयार करते है, मिरेकल के द्वारा बनाया गया यह गाइड लाइन काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है. साथ ही इन्होने बताया की मिरेकल फाउंडेशन के द्वारा हमारे जिला में रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित कराया गया जो की हम सभी के लिए लाभान्वित रहा।

बच्चों की हित में कार्य करने बच्चों के संरक्षण एवं सुरक्षा का ख्याल रखना अतिआवश्यक है। प्रत्येक बच्चों के लिये एक स्नेहपूर्ण प्यारा परिवार हो इसके लिए हम सब मिलकर अपने जिला में कार्य कर रहें हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु। संस्थानिक देखभाल से ज्यादा जरूरी पारिवारिक देखभाल है। इसलिये बच्चो का परिवार से अलगाब न हो बच्चों हित मे कार्य करके अच्छा महसूस करती हूं। इन्होने अंत में मिरेकल फाउंडेसन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया एवं आभार प्रकट करती हैं प्रशिक्षण से कार्यो को करने में अलग समझ विकसित हुआ ओर अच्छे तरह से बच्चों से जुड़कर कार्य कर रही हूं।

सुनिल राम, संस्थागत, बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, रोहतास।

सुनिल जी बाल संरक्षण के क्षेत्र में लगभग दस वर्षों से कार्य कर रहे है। उन्होने अपने कार्य के अनुभवों के आधार पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होने बताया की मिरेकल फाउंडेशन इंडिया के द्वारा परिवार आधारित वैकल्पिक देखभाल एवं इसके सिद्धांतों/घटकों के मुद्धो पर प्रशिक्षण लेने के बाद,हमने रोहतास जिले के सभी प्रखण्डों में प्रखण्ड, पंचायत एवं वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सभी सदस्यों के साथ पारिवार आधारित देखभाल के सिद्धांतों एवं उनके तरीकों के विषय पर प्रशिक्षण दिया है।

उन्होंने बताया की बाल संरक्षण समिति के सभी सदस्यों को पारिवार आधारित देखभाल के महत्वपूर्ण तथ्यों/कारकों के विषय में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के बाद पंचायत एवं वार्ड स्तर पर गठित समिति के सदस्यो के बीच परिवार आधारित देखभाल के प्रति जागरूकता एवं सजगता बढ़ी। प्रशिक्षण के वजह से पंचायत एवं वार्ड स्तर पर बालश्रम एवं बाल विवाह जैसे मामलों को लोग गंभीरता से ले रहे है एवं चाईल्ड लाईन व जिला बाल संरक्षण इकाई को सुचित कर रहे है। साथ ही परिवार आधारित देखभाल योजना से बच्चों एवं उसके परिवार को जोड़ने में काफी प्रगति आई है।

उन्होंने बताया की रोहतास जिला में बालगृह (बालक) एवं पर्यवेक्षण गृह का संचालन किया जा रहा है। मिरेकल के द्वारा गृह के परामर्शी एवं परिविक्षा अधिकारी को भी परिवार आधारित देखभाल एवं व्यक्तिगत देखरेख योजना के सिद्धांतों के बिषय में प्रशिक्षण दिया गया, जो गृह में आवासित बच्चों के पुनर्वासन में कारगर हो रहा है। उन्होने बताया की बालगृह (बालक) रोहतास में **05** ऐसे बालक जो गृह में तीन–चार साल से आवासित थे, जिसमें से एक बालक विशेष देखभाल वाला बालक था, को परिवार आधारित देखभाल के सिद्धांतो के आधार पर तैयार की गई व्यक्तिगत देखरेख योजना, परामर्श सिट एवं आधार कार्ड के मदद् से उनके अपने परिवार में पुनर्वासन किया गया। उन्होनें मिरेकल फाउंडेशन को ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होनें बताया की प्रशिक्षण से परिवार आधारित देखभाल के क्रियान्वयन एवं बच्चों के परिवार में ही बेहतर देखरेख हेतु लोगों को जागरूक करने में उपयोगी साबित हो रहा है।

राम शंकर झा, संस्थागत, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, दरभंगा।

श्री झा विगत दस वर्षो से सामाजिक कार्य से जुड़े हुए है। इन्होंने बाल संरक्षण हेतु संचालित सरकार की योजना मे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने मिराकल फाउंडेशन इन्डिया प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री झा द्वारा पुनः किशोर न्याय परिषद के सदस्यों,बाल गृह दरभंगा में कार्यरत अधीक्षक, प्रवीक्षाधिकारी, परामर्शी, गृह माता/पिता। छड,शिक्षिकाओं एवं संरक्षित बच्चों प्रशिक्षण दिया गया। परिवार के महत्व पर भी चर्चा किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण के फलस्वरुप सबों में बाल संरक्षण कार्यक्रम में विभिन्न स्तर पर कार्य करने की दक्षता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अब बच्चों को उनके परिवार/माता पिता के साथ समन्वय स्थापित करने में आसानी हो रही है। **ICP** तैयार करने में काफी सहूलियत हो रही है। श्री झा द्वारा बताया गया कि मिराकल फाउंडेशन इन्डिया से प्राप्त प्रशिक्षण से उनके उनके दल के आत्म विश्वास में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया की उनके द्वारा बच्चों के माता पिता अभिभावक को समझाया है उन्हे **motivate** किया है जिसके कारण वे लोग पहले अपने बच्चों से नहीं मिलते थे वे अब बच्चों से मिलना शुरू कर दिया है। साथ ही इन्होने यह बताया की बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों का घर पर अपनो के बीच रहना आवश्यक है।उन्हें अच्छे तरह से समझाया गया है जिसके कारण अधिक बच्चे धीरे धीरे घर लौटने लगे है।

श्री झा ने बताया की मिरेकल फाउंडेशन इंडिया के द्वारा हमारे जिला में रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, जिसमे जिला बाल संरक्षण तथा चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करने वाली सभी टीम इस प्रशिक्षण में भाग लिए, यह रिफ्रेशर प्रशिक्षण का उदेश्य गृहों में बच्चों की बेहतर देख–भाल के लिए कर्मियों की संवेदीकरण करने के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के प्रारूपों तथा केस प्रबंधन, सामाजिक अंवेषण रिपोर्ट तथा व्यक्तिगत देख–रेख योजना पर विस्तार से परिचर्चा की गई ताकि गृहों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मानकों के साथ सुविधाएँ प्रदान की जा सके। साथ ही इन्होने मिरेकल फाउंडेशन की टीम को धन्यवाद दिया और बताया की इस तरह की सहयोग हम सभी के लिए काफी उपयोगी साबित होगा।

मुकुल कुमार, गैर संस्थागत जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई पटना।

मुकुल जी के पास सामाजिक कार्य का अनुभव लगभग **5** वर्षों का है, इन्होंने अपने अनुभव के द्वारा बिहार सरकार के बाल संरक्षण के संचालित कार्यक्रम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुकुल जी ने बताया कि मिरेकल फाउंडेशन इंडिया से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमने हमने ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के अधिक से अधिक ब्लोक के सदस्यों को परिवार आधारित वैकल्पिक देखभाल एवँ इसके सिद्धान्तों घटकों के मुद्दे पर प्रशिक्षण आयोजन किया है। मुकुल जी ने बताया की दिनांक– **17.08.2022** को जिला बाल संरक्षण इकाई, पटना एवं मिरेकल फाउंडेशन इंडिया के तत्वधान में पटना जिला अंतर्गत संचालित सभी बाल देख–रेख संस्थानों के अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दिवसीय संवेदीकरण सह क्षमतावर्द्ध कार्यक्रम का आयोजन यूथ होस्टल, पटना में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली **2017** के विभिन्न पहलूओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा गृहों में बच्चों की बेहतर देख–भाल के लिए कर्मियों की संवेदीकरण करने के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के प्रारूपों तथा केस प्रबंधन, सामाजिक अंवेषण रिपोर्ट तथा व्यक्तिगत देख–रेख योजना पर विस्तार से परिचर्चा की गई ताकि गृहों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मानकों के साथ सुविधाएँ प्रदान की जा सके।

इस अवसर पर सहायक निदेशक, पटना श्री उदय कुमार झा ने कहा कि गृह में बच्चों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण सुविधा देने के साथ– साथ उनके बेहतर भविष्य के लिए भी कार्य करना है यह उनके व्यक्तिगत देखभाल योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन करने से ही संभव है। गृह की व्यवस्था में कोई समझौता नहीं किया जाएगा एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतः बच्चों के लिए विहित किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम **2015** के प्रावधानों को शत प्रतिशत लागू करना सुनिश्चित करें।

कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर श्री अमूल्य कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी (संस्थागत), श्री मुकुल कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी (गैर संस्थागत), जिला बाल संरक्षण इकाई, पटना (डॉ. संगीता कुमारी, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, पटना तथा मिरेकल फाउंडेशन इंडिया, बिहार, पटना से श्री दीपक सिंह, श्री जितेन्द्र कुमार, श्रीमती सुरभि सिंह एवं श्री अजय कुमार तथा यूनीसेफ, बिहार से श्रीमती रश्मि झा तथा श्री शाहिद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें।

मुकुल जी ने बताया कि मिरेकल फाउंडेशन से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत बच्चों के पुनर्वास के बाद उनके परिवार को कैसे मजबूत किया जाए, यदि बच्चे हमारे **CCIs** होम में रह रहे हैं तो उनको सभी अधिकार सहजता से प्राप्त हो, इसके लिए हमने प्रखंड स्तरीय सदस्यों को परिवार आधारित देखभाल, विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को तीव्रता लाने पर विशेष जोर दिया है। तथा प्रखंड स्तरीय सदस्यों को किसी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल संपर्क करने का आग्रह किया है। साथ ही इन्होंने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा किये गए **SIR** को मिरेकल फाउंडेशन इंडिया द्वारा दिये गए प्रशिक्षण के अनुसार बनाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, **HIV** रोग से पीड़ित माता–पिता के संतान तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित परिवार के बच्चों को आर्थिक सहायता देने हेतु तथा ऐसे बच्चों परिवार की पहचान हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तथा इन्होने बताया कि की गृहों में आधार कैम्प लगाय गया, जिससे बच्चों को उनके परिवार में अविलंब पुनर्वास किया जा सके।

For more details please connect with us:
Surbhi Singh, Asst. Manager - MEL

surbhi@miraclefoundation.org

TheMiracleFoundationIndia

miraclefoundationindia

MiracleFoundationIndia.in |
MFIndia@MiracleFoundation.org | CIN No.: U93000DL2011NPL222639
Miracle Foundation India is a Section 25 registered Company